फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री महेन्द्रसिंह पिता श्री मोतीसिंह सोलंकी निवासी दाता पोस्ट बांसा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 41/2018**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.11.2018 पत्रावली पेश हुयी। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय राजस्थान सरकार जयपुर को प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2018 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये डाक प्रेषित किया गया। जिसे नोडल अधिकारी सूचना के अधिकार एवं सहायक आयुक्त (खाद्य) खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के द्वारा जरिये पत्रांक एफ 102(3)(1)खावि/आरटीआई/विविध/2018–II जयपुर दि. 18.09.2018 से अपीलार्थी की प्रथम अपील प्रति को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित की गयी। जिसे इस कार्यालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर लो0सू0अ0 जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को अपील प्रति भेजकर अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक रसद/आर0टी0आई0/अपील/2018–19/3629 दिनांक 06.11.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान, निचला घाटड़ा ग्राम पंचायत, मानावतों का गुडा तहसील कुम्भलगढ के रेकार्ड के संबंध मे एक आवेदन पत्र दिनांक 14.08.2018 को प्राप्त हुआ, जिसके साथ पोस्टल आर्डर संख्या 35एफ157318 संलग्न था, जिस पर पोस्ट ऑफिस देसूरी एवं प्रेषक मे स्वयं का नाम अंकित न होकर श्री रतनसिंह राठौड पुत्र श्री नाहरसिंह राठौड ग्राम पोस्ट देसूरी जिला पाली अंकित था, जो आवेदक स्वंय के नाम का नहीं था। इस पर कार्यालय पत्रांक रसद/सूचना/2018/1979 दिनांक 04.09.2018 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त अपील के विरूद्ध सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित राशि 12/–रूपये जमा करवाने हेतु एवं इस जिले के पोस्ट ऑफिस के नाम पर देय पोस्टल आर्डर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था, किन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक निर्धारित राशि एवं पोस्टल आर्डर प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी है। इसके पश्चात भी प्रार्थी को दूरभाष संख्या 9799452002 पर दिनांक 10.09.2018 को सूचना	

प्राप्त करने हेतु निर्धारित राशि इस कार्यालय मे जमा करवाने हेतु सुचित किया गया, किन्तु प्रार्थी द्वारा फिर भी राशि जमा नहीं करवाई। इस कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी। प्रार्थी यदि चाहे तो निर्धारित राशि जमा करा सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। उक्त पत्र की प्रति प्रार्थी के डाक के पते पर भी प्रेषित की गयी है।

लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 14.08.2018 के संदर्भ में प्रार्थी/अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 1979 दिनांक 04.09.2018 से निर्धारित राशि 12/–रूपये जमा करवाने तथा वांछित सूचना हेतु स्वयं का पोस्टल ऑर्डर जमा करवाने हेतु नियत समय पर सूचित किया गया था किन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा निर्धारित राशि एवं पोस्टल ऑर्डर जमा नहीं करवाये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। प्रार्थी/अपीलार्थी निर्धारित राशि 12/– रूपये एवं पोस्टल ऑर्डर लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी राजसमन्द के कार्यालय में जमा करा वांछित सूचना प्राप्त करें।

अतः प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रेषित अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द